



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

E-mail Address : dfo-chatranorth@gov.in, Phone No. : 06541-296022

पत्रांक : 583 दिनांक : 31.03.2022

सेवा में,

श्री सुनिल कुमार,
प्रबंधक,
संचरण अवर प्रमण्डल, चतरा।

विषय :- मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे० (चतरा उत्तरी- 23.3355 हे०) वनभूमि अपयोजन के सम्बंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 254 दिनांक 26.03.2022

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे० (चतरा उत्तरी- 23.3355 हे०) वनभूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव को ऑनलाईन अग्रसारित किया गया था, तत्पश्चात वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 254 दिनांक 26.03.2022 द्वारा आंशिक त्रुटियों पायी गयी है, जो निम्नवत् है :-

1. प्रस्ताव में सलंग्न ऑनलाईन के फार्म-ए, पार्ट-। पुराने वाले ही सलंग्न है, जबकि ऑनलाईन पार्ट-। में काफी संशोधन एवं FRA 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कई आवश्यक अभिलेख Additional Information में अपलोड किया गया है तदोपरान्त Generate Part-I प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड करते हुए प्रस्ताव में सलंग्न करना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया है।
2. ऑनलाईन पार्ट-। की कंडिका झ/पद्ध में No अंकित है, जबकि नियमत: Yes अंकित होना चाहिए, साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र एवं इस कम में हुई ग्राम सभा की प्रति अपलोड करना है, जिसे अन्य स्थान यानि Additional Information के रूप में अपलोड किया गया है, जिसे संशोधन की आवश्यकता है।
3. प्रस्ताव में सलंग्न क्षतिपुरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का नक्शा में प्रस्तावित स्थल को Hatching कलर से दर्शाते हुए Index में दर्शाना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया है। इसे सुधार की आवश्यकता है।

अतः आपके द्वारा समर्पित हार्डकॉपी (आठ प्रति) एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ सलंग्न कर वापस करते हुए निर्देश है कि उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित हार्डकॉपी एवं ऑनलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

o/c

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

31/03/22



कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

पत्रांक - 254

दिनांक - 26/03/22

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

विषय-

मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत
132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्मा
हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल- 29.8704 हे0
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल - 23.3355 हे0) वनभूमि अयोजन प्रस्ताव
के संबंध में।

प्रसंग-

आपका पत्रांक 475 दिनांक 15.3.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत Transmission Line
निर्माण से संबंधित प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच
भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरान्त कति
त्रुटियाँ/कमियाँ पायी गयी जो निम्नवत् हैं :-

- 1) प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन के फार्म A Part I पुराने वाले ही संलग्न है जहाँ
ऑनलाईन Part I में काफी संशोधन एवं FRA 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कई
आवश्यक अभिलेख Additional information में अपलोड किया गया है। वदोपरान्त
generate Part I प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम
एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करना अनिवार्य
है जो नहीं किया गया है।
- 2) ऑनलाईन Part I की कंडिका k(i) में no अंकित है जबकि नियमत: yes अंकित होना
चाहिए। साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित
प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा की प्रति अपलोड करना है जिसे
स्थान यानि Additional information के रूप में अपलोड किया गया है जिससे
संशोधन की आवश्यकता है।
- 3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के
दिशा निर्देशानुसार संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा Manual Form II संलग्न
तैयार कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति Additional information में नाम, पदनाम एवं
तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है।
- 4) Part II की कंडिका 13(i) में क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल मौजा खोस
विघा में एक पैघ दर्शाया गया है जबकि नक्शा के अवलोकन से प्रतीत होता है
इसमें दो पैघ है। साथ ही नक्शा पर प्लॉट नं0 2 (अंश), 7 (अंश) एवं 8 (अंश) दर्शा
गा है जबकि Part II की कंडिका 13(i) में प्लॉट संख्या 2, 7 एवं 8 अंकित है।
में विरोधमाधी है इसे स्पष्ट किया जाय एवं आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जाय

Chatra to Hunterganj 132 Kv

- 5) प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिह्नित स्थल का नक्शा में प्रस्तावित स्थल को hatching colour से दर्शाते हुए Index में दिखाना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- 6) प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन as per वर्तमान में निर्गत schedule rate के अनुसार नहीं है क्योंकि अग्रिम कार्य में पिलर निर्माण का प्रावधान है तथा सामग्री पर 18% GST भी लेना है जो आपके प्राक्कलन में नहीं है। अतः इस हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थल : दसवर्षीय प्राक्कलन तैयार कर संलग्न किया जाय।
- 7) प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ मोहर अंकित नहीं है। अंकित किया जाय।
- 8) प्रस्ताव में आपके स्तर से संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि दिनांक 20.02.2021 को निरीक्षण किया गया है जिसके उपरांत लगभग 01 वर्ष समय व्यतीत होने के उपरांत प्रस्ताव समर्पित किये जाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट किया जाय। जबकि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 05 हे० से अधिक वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को 01 माह के अन्दर निष्पादन किये जाने का प्रावधान है। विदित हो कि चतरा एक अति पिछड़ा जिला है जिसमें रोड, रेलवे लाईन, विद्युत लाईन आ चतरावासियों के लिए अतिआवश्यक है जिसे ध्यान में रखते हुए इस तरह विकासशील प्रस्तावों को यथाशीघ्र सरकार के स्तर तक पहुँचाने का दायित्व हम सबों का है।

अतः आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सभी अभिलेखों के साथ यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

आपकी विश्वासी,

26/03/22
वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।

26/03/22